

कार्यालय पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, आयुक्तालय, जयपुर

क्र.सं. 4849
UBN-No -

दिनांक 5-09-23
दिनांक:

ई-निविदा सूचना

पुलिस आयुक्तालय जयपुर के विभिन्न मैक (मैक/मॉडल) के राजकीय वाहनो मे ऐसेसरीज क्रय करने की वार्षिक दर संविदा हेतु ई-निविदा मूल निर्माताओं/अधिकृत डीलर/अधिकृत डिस्ट्रीब्यूटर/रजिस्टर्ड प्रतिष्ठित फर्मो से आमंत्रित की जाती है। जो दिनांक 06-09-23 को प्रातः 10.00.बजे से प्रारम्भ की जाकर दिनांक 18-09-23 को अपराह्न 3.00 बजे तक <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> से डाउनलोड करके निर्धारित दस्तावेजो के साथ दिनांक 18-09-23 को दोपहर 4.00.बजे तक ऑन लाईन इलैक्ट्रोनिक फोरमेट में वैबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर प्रस्तुत की जा सकती है। डाउनलोड करके ऑनलाईन प्रस्तुत की गई निविदा की निर्धारित प्रोसेसिंग फीस निविदा शुल्क एवं निर्धारित बोली प्रतिभूति राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 18-09-23 बजे 5.00.तक कार्यालय में उपस्थित होकर प्रोसेसिंग फीस निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट भौतिक रूप से जमा करवाने होंगे। ई-निविदा की तकनिकी बिड दिनांक 18-09-23 को सांय 5.15.बजे खोली जायेगी।

निविदा की मुख्य शर्तें एवं विवरण ई-निविदा की वैबसाईड <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर विभागीय वैबसाईड <http://www.police.rajasthan.gov.in> एवं राजस्थान सरकार राज्य लोक उपापन पोर्टल की वैबसाईड <http://www.sppp.rajasthan.gov.in> पर देख सकते हैं।

क्र. सं.	आवश्यक सामग्री	अनुमानित लागत	धरोहर राशि 2 प्रतिशत	निविदा शुल्क	प्रोसेसिंग फीस
	पुलिस आयुक्तालय जयपुर के विभिन्न मैक के वाहनो मे ऐसेसीरीज क्रय करने की वार्षिक दर संविदा (Rate Contract)	2000000 रु	40000 रु	500रु	1000 रु

(शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया)
पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय
पुलिस आयुक्तालय
जयपुर

कार्यालय पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

(निविदा प्रपत्र-क्वालीफाईंग बिड)

परिशिष्ट "अ"

घोषणा

निविदा सूचना क्रमांक:-

दिनांक:-

- (I) के लिए निविदा
(खाली स्थान में उस आईटम का नाम लिखें, जिसके लिए निविदा दी गई है)
- (II) निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म:-
का नाम व डाक का पूर्ण पता:-
दूरभाष एवं फैंक्स नम्बर ईमेल साहित:-
- (III) निविदा जिसे प्रस्तुत करनी है:- पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
- (IV) सन्दर्भ:- निविदा सूचना संख्या:- दिनांक जो
..... (समाचार पत्र का नाम) दिनांक में प्रकाशित हुई है।
- (V) निविदा शुल्क:- राशि रूपये बैंकर चैक / डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या
दिनांक द्वारा जमा करा दी गई है।
- (VI) प्रोसेसिंग फीस:- राशि रूपये डीडी नं० दिनांक
जमा करा दी है।
- (VII) अमानत राशि:- राशि रूपये डीडी नं० दिनांक
जमा करा दी है।
- (VIII) हम निविदा सूचना संख्या दिनांक में वर्णित सभी शर्तों से
तथा विभागीय शर्तों से संबंधित परिशिष्ट "स" में वर्णित शर्तों से बाध्य होना स्वीकार
करते हैं। परिशिष्ट "स" के समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को स्वीकार किये
जाने के प्रमाण-स्वरूप हस्ताक्षर कर दिये हैं तथा परिशिष्ट हस्ताक्षर शुदा संलग्न है।
- (IX) हम सहमत हैं कि विभाग द्वारा निविदा सूचना में अंकित कार्य निर्धारित समयावधि में
पूर्ण कर दिया जाएगा।
- (X) हम सम्पुष्टि करते हैं कि "प्राईस बिड" में अंकित की गई दरें "प्राईस बिड" खुलने
की तिथि से 90 दिन तक विधि मान्य है।
- (XI) हमारा जीएसटी पंजियन संख्या है।
- (XII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड स्वीकार होने की सूचना से निर्धारित अवधि में
निर्धारित प्रारूप में विभाग से करार निष्पादन करेंगे, जिसके अभाव में निविदा निरस्त
योग्य है।
- (XIII) हम सम्पुष्टि करते हैं कि आवश्यक दस्तावेज के अभाव में निविदा निरस्त करने योग्य
है। आवश्यक दस्तावेज संलग्न किये गये हैं जिनका विवरण निम्न प्रकार है:-

S.No.	Type of Certificate & Other informations	Yes/No	Date of issue/ Validity
1-	Whether tender fee document is submitted with e-tender. Provide details Banker Cheque/DD no..... dt.....		

2-	Whether EMD document submitted with e-tender. Provide details DD/Banker Cheque/Challan receipt no..... dt..... amount.....		
3-	Whether agreed with all tender conditions		
4-	Whether annexure- D have been downloaded, signed and submitted with e-tender		
5-	Whether G.S.T. registration certificate is submitted with e-tender		
6-	Whether MSME Unit, registration certificate is sued by the Govt. of Rajasthan is submitted with e-tender		
7-	If applied as MSME Unit, registration a notarised affidavit according to finance (GF&AR) department order No FI (1) Fin./GF&AR/2007 (Circular No 24/2010) dated 19-10-2010 submitted with e-tender		
8-	If applied as MSME Unit, Whether notarised certificate on non judicial stamp paper for production Capacity is submitted with e-tender		
9-	If bidder has an authorised representative based in jaipur, name address and contact number should be submitted with e-tender		
10-	Bankers certificate regarding running bank account, if bidder has submitted tender for the first time		
11-	Whether last three year Turn-over certificate submitted with E-tender (10 lakh per year)		

(XIII) हमारे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दस्तावेज हिन्दी अथवा अंग्रेजी भाषा में है तथा अन्य भाषा में होने पर उनका हिन्दी अथवा अंग्रेजी का प्रमाणित रूपान्तरण भी प्रस्तुत किया गया है।

(XIV) हम सम्पुष्टि करते हैं कि प्राईस बिड हमारे द्वारा ई-निविदा में निर्धारित तरीके से प्रस्तुत की गई है।

नोट:-

- क्रम संख्या (XII) में अंकित संलग्नको में दस्तावेज प्रस्तुत किया है अथवा नहीं उसके आगे 'Yes or 'No' उसके जारी होने की तिथि/(Issuing date Validity date) वैधता अवधि अंकित करना आवश्यक है इसका उत्तरदायित्व निविदादाता का है इसके अभाव में निविदा अमान्य कर दी जावेगी।
- निविदा भरने की प्रक्रिया:-
 - परिशिष्ट "अ" क्वालीफाईंग बिड है क्वालीफाईंग बिड के साथ समस्त प्रमाण पत्र एवं परिशिष्ट "अ" "स" एवं "द" तथा अनुलग्नक अ,ब,स में अंकित शर्तों की स्वीकार्यता की सहमति के लिए परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' पर हस्ताक्षर उपरान्त ई-निविदा के साथ संलग्न करना होगा तथा निर्धारित दिनांक एवं समय पर प्रस्तुत किए जावेंगे।
 - परिशिष्ट "ब" प्राईस बिड है उसे ई-निविदा में निर्धारित प्रारूप (BOQ) में भरा जावे। यदि तकनीकी बिड में ही दरें अंकित कर दी जावेंगी तो साम्बन्धित निविदादाता को अमान्य कर दिया जावेगा। योग्य निविदाकारों की ही प्राईस बिड खोली जावेगी।

8/6

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

कार्यालय पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
परिशिष्ट "ब"

निविदा प्रपत्र प्राईज बिड (Price Bid)

1. जयपुर शहर में अनुबन्ध राजकीय वाहनो पर एसेसरीज कय के सेवाए उपलब्ध करवाने के लिए निविदा
2. निविदादाता का नाम.....
3. पत्राचार का पता.....
4. निविदा प्राप्त कर्ता पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय जयपुर
5. निविदा शुल्क राशि 500/- बैंकर्स चेक(डी.डी.) संख्या..... दिनांक..... द्वारा जमा करवाई जा चुकी है।
6. पुलिस आयुक्तालय जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचनादिनांकएवं निविदा सूचना के क्रम में प्रकाशित की गई शर्त जो निविदा के साथ संलग्न हैं उनसे हम पूर्णतया सहमत है। (हमारी स्वीकृति बतौर हमने सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर कर दिये है।)
7. हमारी दरे निम्न प्रकार होगी-

क. सं.	आवश्यक सामग्री	प्रयोजनार्थ	दर प्रति आईटम (अंको में)	एसजीएसटी पर यूनिट	सीजीएसटी पर यूनिट	दर प्रति आईटम (अंको में) समस्त करों सहित	दर प्रति आईटम (शब्दों में) समस्त करों सहित
1.	पब्लिक एड्रेस सिस्टम						
2.	LED बार लाईट (बहुरंगी) बत्ती						
3.	सीट कवर	बोलेरो नियो					
		बोलेरो b2					
		स्कारपियो					
		tuv					
		TAVERA/					
		INNOVA					
		DZIRE					
4.	हाफ सीट कवर	बोलेरो नियो					
		बोलेरो b2					
		स्कारपियो					
		tuv					
		TAVERA/					
		INNOVA					
		DZIRE					
5.	पर्दा मय रोड	बोलेरो नियो					
		बोलेरो b2					
		स्कारपियो					
		tuv					
		TAVERA/					

		INNOVA					
		DZIRE					
		SCROSS					
6.	स्बर मेटिंग सेट	बोलेरो नियो					
		बोलेरो b2					
		स्कारपियो					
		tuv					
		TAVERA/ INNOVA					
		DZIRE					
		SCROSS					
7.	मड फलेप्स	बोलेरो नियो					
		बोलेरो b2					
		स्कारपियो					
		tuv					
		TAVERA/ INNOVA					
		DZIRE					
		SCROSS					
8.	स्टार प्लेट/बॉक्स मय कवर						
9.	फलैग रोड/स्टैण्ड मय कवर						
10.	सायरन						
11.	व्हील कैप्स	बोलेरो नियो					
		बोलेरो b2					
		स्कारपियो					
		tuv					
		TAVERA/ INNOVA					
		DZIRE					
		SCROSS					
12.	फुट रेस्ट	बोलेरो नियो					
		बोलेरो b2					
		स्कारपियो					
		tuv					
		TAVERA/ INNOVA					
		DZIRE					
		SCROSS					

- उक्त दरे 01 वर्ष तक मान्य होगी। आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई या घटाई जा सकती है।
- बोली प्रतिभूति राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक संख्या..... दिनांक..... राशि..... बैंक पर आहरित है।
- जी.एस.टी. का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न है।
- पैन कार्ड संलग्न है।

हस्ताक्षर निविदादाता का नाम एवं फर्म की मोहर

56

कार्यालय पुलिस आयुक्त पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

परिशिष्ट "स"

निविदा सूचना क्रमांक:-

दिनांक:-

ई-निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की सामान्य शर्तें

1. टेण्डर निर्धारित प्रपत्र में जो कि विभाग से जारी किया गया हो, में ही प्रस्तुत किया जा सकेगा।
2. टेण्डर के सभी प्रपत्र एवं अनुलग्नक पर निविदादाता के हस्ताक्षर आवश्यक रूप से होंगे।
3. निविदा में किसी प्रकार की कटिंग नहीं होनी चाहिए। यदि कोई हो तो उस पर लघु हस्ताक्षर अनिवार्य है।
4. ई-निविदा में अप-लॉड किये गये समस्त दस्तावेजों की हार्डकॉपी एवं निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस और बोली प्रतिभूति के मूल डी.डी./बैंकर्स चैक दिनांक 18.09.2023 को समय सायं 3.00 बजे तक पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर के कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए।
5. निविदा दिनांक 18.09.2023 को उपस्थित निविदादाताओं या उनके प्रतिनिधियों के समक्ष सायं 5:15 बजे खोली जावेगी।
6. निविदा विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों पर दी जानी है। निर्धारित प्रपत्र में किसी प्रकार का संशोधन के साथ दी गई निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने के पुलिस उपायुक्त मुख्यालय पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को पूर्ण अधिकार होंगे।
7. निविदा देने वाली फर्म द्वारा निम्न जानकारी टेण्डर फार्म के साथ संलग्न की जावें।
 - (1) यदि फर्म एकल स्वामित्व की है तो स्वामी का पूरा नाम, कार्यालय एवं निवास का पूर्ण पता एवं टेलीफोन नम्बर।
 - (2) यदि फर्म भागीदारी का है तो भागीदारी-विलेख (पार्टनरशीप डीड) की एक अभिप्रमाणित प्रति यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्णन।
 - (3) कम्पनी के मामले में कम्पनी रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
8. निविदा के साथ निविदादाता को नियमानुसार निर्धारित 2 प्रतिशत राशि बोली प्रतिभूति के रूप में जमा करनी होगी। बोली प्रतिभूति का बैंक ड्राफ्ट जो पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय जयपुर के नाम देय हो, संलग्न करना होगा तभी निविदा स्वीकार की जावेगी।

9. (1) बोली प्रतिभूति निविदादाता को निविदा की अस्वीकृति पर निविदादाता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर लौटाई जावेगी।
(2) निविदा स्वीकृति होने की दशा में बोली प्रतिभूति संबन्धित निविदादाता द्वारा कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि जमा कराने पर नियमानुसार लौटाई जा सकेगी अथवा कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि में सामायोजित की जा सकेगी।
10. निम्न परिस्थितियों में बोली प्रतिभूति को जप्त कर लिया जावेगा—
(1) जब निविदादाता टेण्डर खुलने के पश्चात किन्तु स्वीकृति से पहले टेण्डर से पीछे हटता है अथवा टेण्डर में कोई संशोधन करता है।
(2) जब निविदादाता द्वारा निर्धारित समय में अनुबन्ध सम्पादित नहीं किया जाता है।
(3) जब निविदादाता द्वारा कार्यादेश देने के पश्चात निर्धारित समय में कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराई जाती है।
11. निविदा फार्म के साथ में लगाये गये प्रमाणित दस्तावेजों की पुष्टि हेतु विभाग के मांगे जाने पर मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे।
12. निविदा स्वीकार होने की स्थिति में निविदादाता को निर्धारित प्रारूप में विभाग द्वारा दिये गये समय में करार निष्पादित करना होगा।
13. निविदा स्वीकार होने की दशा में विभाग के साथ फर्म के होने वाले अनुबन्ध की पालना के लिए निविदादाता फर्म के मालिक/भागीदारों की मृत्यु की स्थिति में उनका वैधानिक उत्तराधिकारी जिम्मेदार होंगे।
14. स्वीकृत निविदा के निविदादाता को कुल कार्य की राशि का 5 प्रतिशत कार्य निष्पादन प्रतिभूति के रूप में बोली प्रतिभूति समायोजन करते हुये जमा करवानी होगी। कार्य निस्पादन प्रतिभूति बैंक डिमाण्ड ड्राफ्ट, पोस्ट ऑफिस की एफ.डी., अनुसूचित बैंक की एफ.डी.आर., राष्ट्रीय बचत पत्र के रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए। (जो पुलिस उपायुक्त, (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय जयपुर के नाम रहन की हुई हो।
15. निविदादाता निविदा स्वीकृति होने पर कार्य के सम्पूर्ण भाग/हिस्से को किसी अन्य फर्म को सबलेट नहीं कर सकेंगा। यदि ऐसा करता हुआ पाया गया तो अनुबन्ध बिना किसी नोटिस के समाप्त कर कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि जप्त कर ली जावेगी।
16. राज्य सरकार बोली प्रतिभूति/कार्य निस्पादन प्रतिभूति राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं करेगी। प्रतिभूति राशि बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत पत्र/एफ.डी.आर. के रूप में निविदा अवधि के लिए राज्य सरकार के नाम एन्डोर्समेन्ट होगा, स्वीकार की जा सकेगी।

17. पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर को किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने के पूर्ण अधिकार होंगे तथा उक्त कारण किसी भी प्रकार के उत्पन्न होने वाले दायित्वों से विभाग को कोई सरोकार नहीं होगा।
18. न्यूनतम दरों वाली निविदा को स्वीकार किया जाना आवश्यक नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई भी निविदादाता इस हेतु किसी प्रकार की आपत्ति करने का अधिकारी नहीं होगा।
19. अंकेक्षण के दौरान यदि निविदादाता के विरुद्ध किसी प्रकार की बकाया अनियमित भुगतान वसूली निकाली जाती है तो उसका भुगतान सम्बन्धित फर्म द्वारा किया जायेगा। भुगतान नहीं करने की स्थिति में नियमानुसार फर्म से वसूली की कार्यवाही की जावेगी।
20. अनुबन्ध की अवधि—इस कार्य हेतु अनुबंध किये जाने की तिथि या कार्यादेश जो भी पहले हो से एक वर्ष तक की अवधि के लिए मान्य होगा। कार्य संतोषजनक होने की स्थिति में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर वित्तीय नियमानुसार और बढ़ाया जा सकेगा।
21. बोली प्रतिभूति— इस निविदा के साथ प्रत्येक निविदादाता को निर्धारित बोली प्रतिभूति जमा करानी होगी। इस हेतु पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय, जयपुर के पक्ष में भुगतान योग्य बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अनुबन्ध की कुल राशि की पांच प्रतिशत राशि प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करानी होगी। बोली प्रतिभूति उस अवसर पर इस कार्य निष्पादन प्रतिभूति राशि में समायोजित कर ली जावेगी। असफल रहने वाले निविदादाताओं को अर्नेस्ट मनी निविदा पर निर्णय होने के एक माह में वापस कर दी जावेगी। इस राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
22. अनुबन्ध— सफल निविदादाताओं को कार्य आदेश प्राप्त होने के एक सप्ताह में नियमानुसार निर्धारित मुल्य का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर के साथ एक अनुबन्ध सम्पादित करना होगा। अनुबन्ध समय पर न होने की स्थिति में बोली प्रतिभूति जप्त कर ली जावेगी।
23. संविदा अवधि में संविदा के दोनों पक्षों के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है तो पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय/यातायात या उनके द्वारा मनोनीत व्यक्ति मध्यस्थता करेंगे। मध्यस्थता वार्ता में दोनों पक्ष अपना एक-एक प्रतिनिधि भेज सकेंगे। मध्यस्थता में दिया गया निर्णय अन्तिम होगा।
24. समस्त अधिकार पुलिस आयुक्त जयपुर के पास सुरक्षित होंगे।

25. किसी भी कानूनी विवाद के लिये जयपुर स्थित कार्यालयों/न्यायालयों में ही वाद प्रस्तुत किया जा सकेगा।
26. अनुबन्ध की अवधि एक वर्ष के लिये होगी, इसे आवश्यकतानुसार वित्तीय नियमानुसार व लेखा नियम आरटीपीपी नियम 2013 के अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है।
27. आरटीपीपी एक्ट 2012 एवं आरटीपीपी रूल्स 2013 के सभी प्रावधान उक्त निविदा पर प्रभावी होंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर




-:निविदा की मुख्य शर्त:-

1. निर्धारित निविदा शुल्क एवं बोली प्रतिभूति, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) जयपुर के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में दी जायेगी।
2. निविदा के साथ राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड की प्रोसेसिंग फीस निम्नानुसार प्रबंधक निदेशक आर.आई.एस.एल. के नाम जारी बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट के रूप में अलग से दी जायेगी।
 1. यदि निविदा की लागत राशि रुपये 50.00 लाख से कम है- रुपये 500/- प्रति निविदा
 2. यदि निविदा की लागत राशि रुपये 50.00 लाख से अधिक है-रुपये 1000/-प्रति निविदा
3. निर्धारित निविदा शुल्क, धरोहर राशि (बोली प्रतिभूति) एवं प्रोसेसिंग फीस के अलग-अलग बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट को ऑन लाईन निविदा के साथ स्कैन करके प्रस्तुत करना होगा तथा दिनांक 18.09.2023 को सायं 3.00 बजे तक इस कार्यालय में उपस्थित होकर भौतिक रूप से निविदा शुल्क धरोहर राशि (बोली प्रतिभूति) एवं प्रोसेसिंग फीस के बैंकर चैक/डिमाण्ड ड्राफ्ट जमा कराने होंगे। निर्धारित निविदा शुल्क धरोहर राशि प्रोसेसिंग फीस के अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। निविदा शुल्क एवं प्रोसेसिंग फीस किसी भी परिस्थिति में नहीं लौटाया जावेगा।
4. क्वालिफाईंग बिड में योग्य पाये गये निविदाकारों की ही प्राईस बिड खोली जायेगी। नवीनतम जानकारी के लिये उक्त वेबसाईट एवं राज्य सरकार के उपापन पोर्टल को देखा जा सकता है।
5. जो निविदाकार ई-निविदा (E-Tender) में भाग लेना चाहते हैं सर्वप्रथम उन्हें वेबसाईट पर <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर पंजीकरण कराना होगा। उसके पश्चात जो निविदाकार ऑन लाईन टेण्डर्स में भाग लेना चाहते हैं, उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (I.T.Act2000) के तहत डिजीटल सर्टिफिकेट (Type II O Type III) लेना होगा। निविदाकार किसी भी अनुमोदित सी.सी.ए. (Certificate Certifying Authority) एजेन्सी से डिजीटल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जिन निविदाकारों के पास पहले से ही उक्तानुसार वैध डिजीटल सर्टिफिकेट उपलब्ध है, उन्हें पुनः डिजीटल सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है।
6. जो निविदाकार ई-निविदा में भाग लेना चाहते हैं वे वांछित दस्तावेजों के साथ वेबसाईट <http://www.eproc.rajasthan.gov.in> पर ऑन लाईन इलेक्ट्रॉनिक फोरमेट में निर्धारित दिनांक एवं समय तक निविदा प्रस्तुत कर सकते हैं।
7. निविदा के साथ निविदादाता वैध जीएसटी प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रति स्कैन कर प्रस्तुत करेंगे।
8. जीएसटी प्रमाण पत्र में निविदत्त वस्तु या वस्तुओं के ग्रुप का नाम स्पष्ट रूप से अंकित होना चाहिए।
9. समस्त प्रमाण-पत्र हिन्दी अथवा अंग्रेजी में होने चाहिए। अन्य किसी भाषा में प्रमाण-पत्र है तो वह हिन्दी अथवा अंग्रेजी में अनुवादित हो तथा सत्यापित किया हुआ हो।
10. दरों की वैधता-प्राईस बिड खुलने की तिथि से 90 दिन तक मान्य होगी।
11. यदि कोई निविदादाता किसी वित्तीय वर्ष में कार्य करने में असफल रहता है तो वह उस वित्तीय वर्ष से आगामी तीन वित्तीय वर्षों तक विभागीय निविदाओं में भाग लेने के लिये योग्य नहीं होगा। यदि किसी निविदाकार ने फिर ई-निविदा में भाग लिया है तो वह प्रथम दृष्टया निरस्त की जा सकती है।
12. किसी सेवा व्यवसाय में नये प्रविष्ट होने वाले निर्माता/डीलर को अपने बैंकर का परिचय पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
13. निविदा के साथ सभी वांछित दस्तावेज/प्रमाण पत्र निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि को वैध होने चाहिए।
14. विस्तृत शर्तों के लिए विभागीय निविदा परिशिष्ट-अ,ब,स व द एवं अनुलग्नक-अ,ब,स का सावधानीपूर्वक अध्ययन करके निविदा में भाग ले सकते हैं। उक्त मुख्य शर्तों एवं विभागीय निविदा परिशिष्ट अ,ब,स व द तथा अनुलग्नक-अ,ब,स में उल्लेखित शर्तों के विपरीत कोई

शर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सभी विभागीय निविदा शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप परिशिष्ट 'द' एवं अनुलग्नक 'ब' डाउन लोड करने के बाद हस्ताक्षर उपरान्त ई-निविदा के साथ रकने करना होगा। इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी। यदि किसी निविदाकार ने विभागीय शर्तों के विपरीत कोई शर्त लगाई है तो वह निविदा निरस्त कर दी जावेगी और ई-निविदा में उसके आगे के चरण (Stages) को नहीं खोला जावेगा।

15. यह निविदा द्वि-प्रक्रमी (Two Stage) है जिसमें तकनीकी विड व वित्तीय विड अलग-अलग भरी जावेगी। एक साथ भरी जाने पर अथवा बिना लिफाफे के प्रस्तुत किये जाने पर संबंधित निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
16. फर्म द्वारा मजबूत एवं पुष्ट आधार प्रस्तुत करने पर ही विभागीय क्रय समिति किसी प्रकरण विशेष में गुणावगुण के आधार पर यदि उचित समझती है या किसी प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण प्रतिस्पर्धा बाधित होती है तो वांछनीय दस्तावेज एवं वांछित स्पष्टीकरण प्राप्त करने का निर्णय ले सकती है।
17. विभागीय क्रय समिति के निर्णयानुसार पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर किसी भी निविदा अथवा उसके भाग को बिना कारण बताये अस्वीकार कर सकेंगे।
18. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता नियम 2013 के तहत प्रथम अपील अधिकारी पुलिस आयुक्त, जयपुर होंगे एवं द्वितीय अपील अधिकारी पुलिस महानिदेशक, राजस्थान जयपुर होंगे।
19. निविदा के सम्बन्ध में किसी प्रकार की समस्या हो तो निम्न अधिकारियों से सम्पर्क किया जा सकता है—
 1. वरिष्ठ लेखाधिकारी, पुलिस आयुक्तालय, जयपुर फोन नम्बर 0141-2209236
20. फर्म द्वारा गत तीन वर्षों में राजकीय कार्यालय में राशि 05.00 लाख तक का कार्यानुभव होना आवश्यक है इस अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
21. फर्म द्वारा गत तीन वित्तीय वर्ष (2020-21, 2021-22 व 2022-23) में राशि 10.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष का टर्न-ओवर होना आवश्यक है, इसके अभाव में निविदा निरस्त कर दी जावेगी।


(शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया)
पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय,
जयपुर

कार्यालय पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर
परिशिष्ट "द"

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन आईटम/स्टोर/कार्य के लिए निविदा दी है, उनका/उनके लिए मैं/हम बोनाफाईड विनिर्माता/निर्माता (वृहत/मध्यम/लघु)/थोक विक्रेता/ऑथोराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर/सोल सेलिंग मार्केटिंग एजेंट/प्राधिकृत डीलर/डीलर हूँ/है। मेरे द्वारा विभागीय परिशिष्ट अ, ब एवं स तथा निविदा सूचना को पूर्ण रूप से पढ़कर समझ लिया है। मेरे द्वारा उन शर्तों की पूर्ण पालना की गई है/करूंगां/करेंगे और मैं/हम उन्हें अक्षरक्षः स्वीकार करते हैं तथा मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त नहीं है और न ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्द्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड किया गया है।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जावे तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेरी/हमारी बयाना/प्रतिभूति राशि का समपहरण कर लिया जावे तथा निविदा को जिस सीमा तक स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जावे।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

86

परिशिष्ट द (अ)

वार्षिक टर्नओवर

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	राशि
1.	2020-21	10 लाख
2.	2021-22	10 लाख
3.	2022-23	10 लाख

नोट:-सीए द्वारा प्रमाणित होना चाहिये तथा यूडीएनआई नम्बर अंकित हो।

परिशिष्ट द (ब)

शपथ पत्र :- मै शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि मेरी फर्म एवं मेरी फर्म का प्रबन्धक किसी भी अपराधिक प्रवृत्ति में नियुक्त नहीं है और ना ही किसी भी राजकीय विभाग/अर्धसरकारी संस्थान द्वारा पूर्व में ब्लैक लिस्टेड/अमानत राशि जब्त कर निष्कासित किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

मय मोहर

86

कार्यालय पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय, जयपुर

क्र.सं. ५४५०

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क,
राजस्थान, जयपुर।


दि. ५-१-२३

विषय: निविदा प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि पुलिस आयुक्तालय, जयपुर के मैक के राजकीय वाहनो मे ऐसेसीरीज कय करने की वार्षिक दर संविदा पर लेने हेतु जारी निविदा 08 प्रतियों में संलग्न है जिसका प्रकाशन नियमानुसार समाचार पत्रों में शीघ्र प्रकाशित करावें।

भवदीय,


(शैलेन्द्र सिंह इंदौलिया)
पुलिस उपायुक्त, मुख्यालय
पुलिस आयुक्तालय
जयपुर

प्रतिलिपि:

1. सहायक प्रोग्रामर को प्रेषित कर लेख है कि इस निविदा का ई-प्रोक व राज्य लोक उपापन पोर्टल पर अपलोड कर प्रकाशित करावें।
2. संचित निरीक्षक (प्रशासन/एमटी) पुलिस आयुक्तालय, जयपुर।
3. जन सम्पर्क अधिकारी पुलिस आयुक्तालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त निविदा को शीघ्र प्रकाशित करावें एवं प्रकाशित होने की सूचना इस कार्यालय में भिजवावें।
4. नोटिस बोर्ड पुलिस लाईन/पुलिस नियन्त्रण कक्ष जयपुर।


पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय)
पुलिस आयुक्तालय,
जयपुर